

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।



Part of  
r or  
eding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Pleaded  
necessary

फरियादी एवं आहत जयवीर की ओर से उसके पिता द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। आहत जयवीर की ओर से उसका नैसर्गिक पिता राजीनामा करने में सक्षम हैं। राजीनामा के संबंध में आहत जयवीर का कथन लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294 323 दो काउण्ट सहपठित धारा 34, 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है। उक्त आरोप न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294 323 दो काउण्ट सहपठित धारा 34, 506 भाग दो भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है। प्रकरण में आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में

प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)

राजकुमार

राजकुमार  
राजकुमार  
राजकुमार  
राजकुमार

राजकुमार